न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 165 / 2021

2021/416

वादी :–

चम्पा देवी W/o भोमाराम कौम चौधरी
निवासी बिजारणी पारलू

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमराराम, आत्माराम पिता लिछमणाराम
2. तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री चम्पादेवी स्वंय वादी।
2..श्री अमराराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 16.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं ....21.... रकबा ....209.01.... बीघा, सरहद मौजा ....बिजारणी, ग्राम पारलू के खाता सं. 2.... तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ....सोवरों.... होने से राजस्व रेकर्ड में ....सोवरों.... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या ....328073458564.... जन आधार कार्ड संख्या ....999-DXVQ-0UU28.... मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसवी....बैंक खाता.... राशन कार्ड संख्या ....X.... ....चम्पा देवी.... दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ....सोवरों W/o भोमाराम.... के स्थान पर ....चम्पादेवी W/o भोमाराम.... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:44 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर बालोतरा 2021

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम सोहरो के स्थान पर चम्पा देवी W/o ओमाराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच उप तहसीलदार पारलू तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 21 रकबा 209.01 बीघा मौजा कीजांरणी ग्राम पारलू के खा.सं. 02 बीघा, सरहद मौजा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम सोहरों दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं उप तहसीलदार पारलू की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम सोहरों दर्ज किया गया है वादी का सही नाम चम्पा देवी है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 21 व खा.सं. 02 रकबा 209.01 व 69.19 बीघा, सरहद मौजा कीजांरणी व पारलू वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम सोहरों W/o पुत्र ओमाराम के स्थान पर चम्पादेवी W/o ओमाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 16-10-2021 **को कोर्ट केम्प कोर्ट** पारलू **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code Appendeix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट...पारलू...

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
~~चम्पादेवी W/o भेमाराम जाति चौधरी निवासी बिजांरणी पारलू~~ तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		अमराराम, आम्बाराम पि० निम्बाराम राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ...चम्पादेवी... वादी स्वंय मिनजानिब श्री ...अमराराम व... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ...21 व खाता 02... रकबा ...209.01 बीघा 69.15... बीघा, सरहद मौजा ...बीजांरणी व पारलू... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ...संतोदेवी W/o भेमाराम... के स्थान पर ...चम्पा देवी W/o भेमाराम... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...16-10-2021... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner